न्यायालय सैशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्र दीक्षित

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 872/2024

1. सोयल शाह पुत्र नफीस उम्र 21 साल
2. गुलशेर पुत्र जब्बार उम्र 26 साल
3. अमर सिंह उर्फ मोटा पुत्र रामप्रसाद उम्र 26 साल

निवसीयान ग्राम बिच्छीदौना, पुलिस थाना मलारना डूँगर, तहसील मलारना डूंगर जिला – सवाई माधोपुर (राजस्थान)

प्रार्थीगण–अभियुक्तगण

विरूद्ध

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, सवाई माधोपुर।

अप्रार्थी

तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस प्र.सू.रि. संख्या 239/2024, पुलिस थाना मानटाउन, सवाईमाधोपुर अपराध अन्तर्गत धारा 61(2)(बी), 316(2), 318(4), 319(2), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस, धारा 66सी, 66डी, आई.टी. एक्ट, धारा 13 आर.पी.जी.ओ व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट (नि.फौ.प्र. सं. 1219/2024 सरकार बनाम सोयल व अन्य)

उपस्थितिः

1. श्री गिर्राज प्रसाद तेहरिया, अधिवक्ता प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से ।
2. श्री जीतेन्द्र शर्मा, लोक अभियोजक, राज्य की ओर से ।

जमानत आवेदन संख्या	:	तृतीय
घटना की दिनांक	:	13.07.2024
गिरफ्तारी की दिनांक	:	13.07.2024

आदेश

दिनांकः 28.10.2024

1. प्रार्थीगण–अभियुक्त की ओर से जमानत का यह तृतीय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. पेश किया गया जिसकी नकल विद्वान लोक अभियेाजक को दिलवाई गई।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 13.07.2024 को जगदीश चन्द्र, SI को गश्त के दौरान सीमेन्ट फैक्टी स्थित खण्डहर में चार लडकों

द्वारा मोबाईल व टेबलेट (लेपटाप) चलाकर लोगों से आनलाईन ठगी कर करने व उनके पास हथियार होने की सूचना प्राप्त होने पर वह मय जाप्ता सीमेन्ट फैक्ट्री चौराहे पर व तत्पश्चात खण्डहर के अंदर गया तो 04 लडके मोबाईल व लेपटॉप को चलाते हुए मिले। नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम सोयल शाह पुत्र श्री नफीस तथा दूसर ने अपना नाम असअद हुसैन पुत्र श्री अली हुसैन तथा तीसरे ने अपना नाम गुलशेर खान पुत्र श्री जब्बार तथा चौथे ने अपना नाम अमर सिंह उर्फ मोटा पुत्र श्री रामप्रसाद होना बताया। चैकिंग के दौरान सोयल शाह नाम के लडके के हाथ में दो मोबाईल व पेंट की बांयी आंट में एक हथियार लोहे का देशी कट्टा 315बोर मिला जिसने अपने पास अनुज्ञापत्र नहीं होना बताया। मोबाइलों को चैक किया व MOBILE NO- 7357539728 के बारे में पूछने पर सोयल ने अपने भाई अरबाज के नाम होना बताया। उक्त मोबाईल में जीमेल, पेटीएम अकाउण्ट, गूगल पे अकाउन्ट मोबाईल नंबर 7357539728 से बना हुआ है। मोबाईल के व्हाट्स एप्प को ओपन किया तो व्हाट्स अप्प अकाउण्ट सुनील नाम से इसी नम्बर से बना हुआ, जिसकी व्हाट्स चैट पर भिन्न भिन्न मोबाईल नंबर से चैट वार्ता की गई है जिसमें बिटकाईन व शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लुभावने प्रलोभन देकर उनसे पैसा लिया गया है। मोबाईल के मौजूद दूसरे बिजनेस व्हाट्स एप्प को ओपन किया तो व्हाट्स अप्प अकाउण्ट Nitin Tredar नाम से बना हुआ है जिसका मोबाईल नंबर 7023187410 है जिसमें भिन्न भिन्न मोबाईल नंबर से चैट वार्ता की गई है। मोबाईल में मौजूद टेलीग्राम एप्प पर ट्रेडिंग व बिटकाईन में इन्वेसमेंट के लिए दो टेलीग्राम चैनल बने हुए है जिनका एडमिन स्वयं (मो0न0 7357539728) है। इस चैनल की चैट को चैक किया गया तो इसमें रुपये के ट्रांस्जेक्शन और इन्वेशटमेंट के लिए लुभावने विज्ञापन की चैट उपलब्ध है तथा दूसरे चैनल की चैट को चैक किया गया तो इसमें रुपये के ट्रांस्जेक्शन और इन्वेशटमेंट के लिए लुभावने विज्ञापन की चैट उपलब्ध है। गुगल एप्लीकेशन हिस्ट्री को चैक किया गया तो वेबसाईट बनी हुई मिली जिसको ओपन किया तो विभिन्न गेम्स पर जीत–हार पर बिड/दांव लगाया हुआ है। शख्स सोयल शाह के हाथ में मौजूद दूसरे मोबाईल को चैक किया तो मोबाईल नं0 9602602644 तथा 7023187410 होना पाया, उक्त दोनों सिम कार्ड उसके नाम से ही है। उक्त मोबाईल के प्लेस्टोर की जीमेल आईडी में पेटीएम अकाउण्ट मोबाईल नंबर 9602602644 से बना हुआ है तथा फिनों बैंक के अकाउण्ट नंबर से लिंक है। मोबाईल में मौजूद फोन पे एप्लीकेशन को चैक किया तो फोन पे नंबर 8955491903 से बना हुआ है जो फिरोज पुत्र छोट्या खान के नाम होना पाया गया। गुगल पे चैक किया तो गुगल पे अकाउण्ट मोबाईल नंबर 9602602644 से बना हुआ है। जिससे चार बैंक अकाउण्ट लिंक होना प्रदर्शित कर रहा है। व्हाट्स चैट को चैक किया गया तो भिन्न भिन्न मोबाईल नंबर से चैट वार्ता की गई है जिसमें बिटकाईन व शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लुभावने प्रलोभन

देकर उनसे पैसा लिया गया है। गुगल एप्लीकेशन हिस्ट्री पर बनी वेबसाईट में विभिन्न गेम्स पर जीत–हार पर बिड/दांव लगाया हुआ है। सभी शख्सो के बीच रखे हुए टेबलेट को सोयल ने अपना होना बताया जिसमें गुगल पर जीमेल आईडी बनी हुई थी। शख्स सोयल से पूछताछ करने पर बताया कि उसके चार बैंक फिनों बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, बैंक आफ बडौदा, इण्डिया पोस्ट पेमेन्ट बैंक मे अकाउण्ट है सभी अकाउण्ट में मो0न0 9602602644 तथा आधार नंबर 882392228781 जुडे हुए है। वह मोबाईल के इन एप्पस् के जरिये लोगों से धोखाधडी कर पैसा प्राप्त करता है, उसे यह काम उसके गांव बिच्छीदोना के फिरजान खान ने सिखाया है तथा उसी ने उसके मोबाईल में cricbet99-club की आईडी बनाई है। फिरजान भी उसके साथ इसी तरह का काम करता है तथा जो पैसा लोगों से धोखाधडी कर प्राप्त करता है उसमें वह फिरजान खान को 30 प्रतिशत हिस्सा देता है। शख्स असअद हुसैन के हाथ में मिले एन्ड्रायड मोबाईल को चैक किया तो मोबाईल VIVO Y75 का नं0 6377458580 तथा 9376557314 हैं जिनके बारे में पूछने पर अपने नाम होना बताया। उक्त मोबाईल के प्लेस्टोर में पेटीएम अकाउण्ट बना है। पेटीएम की बैंलेस हिस्ट्री चैक किया तो अनेको बैंक अकाउण्ट से राशि प्राप्त होना प्रदर्शित है। मोबाईल में मौजूद पेटीएम बिजनिश एप्लीकेशन को चैक किया तो पेटीएम अकाउण्ट asaad Husain के नाम से बना हुआ है। मोबाईल में मौजूद गुगल पे एप्लीकेशन को चैक किया तो गुगल पे अकाउण्ट फिनो बैंक के अकाउण्ट नंबर XXXXXXX2258 से लिंक है। इसके अतिरिक्त शख्स असअद का बंधन बैंक व बैंक आफ बडौदा में भी अकाउण्ट है। मोबाईल के BUSINESS व्हाट्स एप्प को ओपन किया तो व्हाट्स अप्प अकाउण्ड aditya bhai नाम से बना हुआ है जिसका मोबाईल नंबर 7742650679 है, जिसको राजकाप पर चैक किया तो धर्मसिंह पुत्र रामस्वरुप मीना निवासी सेलू, सवाई माधोपुर के नाम होना अंकित है। व्हाट्स अप चैट को चैक किया गया तो भिन्न भिन्न मोबाईल नंबर से चैट वार्ता की गई है जिसमें बिटकाईन व शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लुभावने प्रलोभन देकर उनसे पैसा लिया गया है। मोबाईल के मौजूद दूसरे व्हाट्सअप्प अकाउण्ट Raaz Bhai नाम से बना हुआ है। मोबाईल में मौजूद टेलीग्राम एप्प को चैक किया तो ट्रेडिंग व बिटकाईन में इन्वेसमेंट के लिए टेलीग्राम अकाउण्ट Aditya singh नाम से बना हुआ। मोबाईल में मौजूद इन्स्टाग्राम एप्लीकेश को चैक किया तो इन्स्टाग्राम आईडी बनी हुई है जिसमें 18300 फोलोवर है जिनको पैसा इन्वेस्ट करने पर डबल पैसे देने के लुभावने प्रलोभन की पोस्टे अपलोड की गई है। पूछने पर बताया कि इन फोलोवर्स द्वारा पैसा इन्वेस्ट करने के उपरांत डबल पैसा नहीं देकर इनकी राशि को हडप लिया जाता है। शख्स गुलशेर खान के हाथ में मिले एन्ड्रायड मोबाईल को चैक किया तो एक मोबाईल मिला व जिसका नं. 7851989071 है। पूछने पर उसने अपने नाम होना बताया तथा उक्त मोबाईल का दूसरा नं. 9216494490 है।

मोबाईल में मौजूद पेटीएम व फोन पे एप्लीकेशन चैक किया तो दोनों ही अकाउण्ट मो0न0 7851989071 से बने हुए है। उक्त मोबाईल के प्लेस्टोर से पेटीएम अकाउण्ट, गूगल पे अकाउंट मोबाईल नंबर 7357539728 से बने हुए हैं। मोबाईल के व्हाट्स एप्प को ओपन किया तो व्हाट्स अप्प अकाउण्ट meenaamar747 नाम से बना हुआ है जिसका मोबाईल नंबर 9216494490 है। मोबाईल में मौजूद इन्स्टाग्राम एप्लीकेश को चैक किया तो इन्स्टाग्राम आईडी बनी हुई पायी गयी जिसमे अपने फौलोअर्स को पैसा इन्वेस्ट करने पर डबल पैसे देने के लुभावने प्रलोभन की 33 पोस्टे अपलोड की गई हैं। उसने पूछने पर बताया कि इन फोलोअर्स द्वारा पैसा इन्वेस्ट करने के उपरांत डबल पैसा नहीं देकर इनकी राशि को हडप लिया जाता है। यह इन्स्टाग्राम आईडी उसके मोबाईल में उसके साथ मौजूद सोयल व असअद खान ने बनाई है। शख्स अमर सिंह मीना के हाथ में मिले एन्ड्रायड मोबाईल को चैक किया तो मोबाईल का नं0 7877257455 के बारे में पूछने पर मोबाईल अपने नाम होना बताया तथा उक्त मोबाइल का दूसरा नं0 7850826809 होना पाया गया है। उक्त मोबाईल के प्लेस्टोर में पेटीएम अकाउण्ट मोबाईल नंबर 7877257455 से बना हुआ है जिसकी यूपीआई आईडी 7877257455/paytm है जो आईडीबीआई बैंक अकाउण्ट नंबर –8476 से लिंक होना प्रदर्शित है। जिसकी बैलेंस हिस्ट्री को चैक किया गया तो भिन्न–भिन्न अकाउण्ट से पैसो का लेन–देन पाया गया। मोबाईल में मौजूद फोन पे एप्लीकेशन चैक किया तो अकाउण्ट मो0न0 7877257455 से बना है। उक्त फोन पे नंबर भी आईडीबीआई बैंक अकाउण्ट नंबर –8476 से लिंक होना प्रदर्शित है। मोबाईल मे मौजूद गुगल पे अकाउण्ट भी इसी मोबाईल नंबर 7877257455 से बना हुआ है। शख्स अमर सिंह मीना ने खुद बताया कि उसके मोबाईल नंबर 7877257455 फिनो बैंक के बैंक अकाउण्ट नंबर 4239 से लिंक है। उक्त बैंक अकाउण्ट का धारक उसके साथ मौजूद गुलशेऱ खान है। जिससे उसने यह एकाउण्ट लिया है। मोबाईल के व्हाट्स एप्प को ओपन किया तो व्हाट्स अप्प अकाउण्ट KAILYAN 11 नाम से मोबाईल नंबर 7877257455 से बना हुआ पाया जिसकी चैट चैक की गई तो विभिन्न मोबाईल नंबर से आनलाईन मटका एप्लीकेशन/वेबसाईट लिंक के संबंध में वार्ता होना पाया गया। इस लिंक के संबंध में पूछा तो बताया कि आनलाईन सट्टा वेबसाईट/लिंक उसने नेतराम मीना निवासी चकेरी तथा मस्तराम मीना पुत्र घनश्याम मीना निवासी धनौली थाना सूरवाल हाल निवासी बिच्छीदौना मोबाईल नंबर 8432212220 से बनवाया था, ग्राहक बनाने के लिए उसने रुपसिंह मीना निवासी पीलवा नदी मो0न0 8306271506 तथा विक्की मीना निवासी टोण्ड थाना मलारना डूंगर से डाटा लेता है। रुपसिंह व विक्की मीना द्वारा उपलब्ध कराये गये मोबाईल नंबरो पर वह उक्त लिंक को भेजकर आनलाईन सट्टा खेलने के लिए प्रेरित करता है जब ग्राहक उन पर हार–जीत का दांव लगाने के लिए उसके द्वारा दिये गये गुलशेर खान के फिनों बैंक के खाते से लिंक वोलेट नं.

7877257455 पर पैसा डलवाता है। मोबाईल में मौजूद इन्स्टाग्राम एप्लीकेश को चैक किया तो दो आईडी बनी हुई पायी गयी जिनमें फॉलोअर्स को पैसा इन्वेस्ट करने पर डबल पैसे देने के लुभावने प्रलोभन की पोस्टे अपलोड की गई है। पूछने पर बताया कि इन फोलोवर्स द्वारा पैसा इन्वेस्ट करने के उपरांत डबल पैसा नहीं देकर इनकी राशि को हडप लिया जाता है। यह इन्स्टाग्राम आईडी उसके मोबाईल में उसके साथ मौजूद सोयल ने बनाई है तथा जिसको वह स्वयं चलाता है। मोबाईल में मौजूद टेलीग्राम एप्प को चैक किया तो कल्याण आनलाईन सट्टा मार्केट में इन्वेसमेंट के नाम से टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है। जिसका एडमिन स्वयं है। उक्त चारो शख्सो के बीच में टेबलेट के पास रखे हुए छोटे कपडे के हैण्डबेग को चैक किया तो उसमें अलग–अलग बैंक खातो के 12 एटीएम कार्ड, 03 चैक बुक, 03 बैंक पासबुक तथा 05 सिमकार्ड्स मिले। इस प्रकार उक्त चारो शख्स सोयल, असअद खान, गुलशेर खान, अमरसिंह मीना तथा उनके साथी फिरजान खान, नेतराम, मस्तराम, रुपसिंह, विक्की द्वारा ग्राहको से जरिये फोन/इंटरनेट के माध्यम से आनलाईन सम्पर्क मे रहकर मोबाईल फोनों एव फर्जी दस्तावेजो के आधार पर प्राप्त की गई सिम कार्ड, मोबाईल, टेबलेट का भिन्न–भिन्न बैंक अकाउन्ट का उपयोग कर ओनलाईन टिप्सो/अंको/मैच पर दांव लगाकर लोगों के साथ बदनीयतीपूर्वक बेईमानीपूर्वक आशय से छल करते हुए फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर धोखाधडी करते हुए अनुचित लाभ प्राप्त किया जाता है।....आदि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना मानटाउन में प्रकरण संख्या 239/2024, अन्तर्गत धारा 61(2)(बी), 316(2), 318(4), 319(2), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस, धारा 66सी, 66डी, आई.टी. एक्ट, धारा 13 आर.पी.जी.ओ व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। प्रार्थीगण न्यायायिक अभिरक्षा में है। बाद अनुसंधान प्रकरण में आरोप पत्र पेश किया जा चुका है। अतः प्रार्थीगण की ओर से यह तृतीय जमानत प्रार्थनापत्र पेश है।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण–अभियुक्त एवं विद्वान लोक अभियोजक की जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र के तथ्यों के अनुरूप बहस करते हुए निवेदन किया है कि पूर्व में इस न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थीगण का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 24.07.2024 को खारिज किया गया था लेकिन उसके पश्चात इस प्रकरण में आरोप पत्र पेश हो चुका है। इसलिए बदली हुई परिस्थितियों में प्रार्थीगण को जमानत का लाभ दिया जावे क्योंकि प्रार्थीगण लगभग तीन माह से लगातार अभिरक्षा में है।

5. विद्वान लोक अभियेाजक ने इसका विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण का जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय से खारिज किये जाने के बाद

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी दिनांक 29.08.2024 को खारिज किये जा चुके हैं। अतः प्रार्थी का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे।

6. उभय पक्ष को सुनकर न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नम्बरी फौजदारी पत्रावली संख्या 1219/2024 सरकार बनाम सोयल वगैरा का अवलोकन किया गया। यह तथ्यात्मक स्थिति स्वीकृत है कि आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व प्रार्थीगण का प्रथम प्रार्थनापत्र इस न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका था व तत्पश्चात माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी दिनांक 29.08.2024 को प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज किया जा चुका है। तत्पश्चात प्रकरण में आरोप पत्र पेश होने पर प्रार्थीगण द्वारा द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र पेश किया गया जो नौट प्रेस किये जाने से खारिज किया गया है। अब परिस्थितियों में मात्र इतना परिवर्तन हुआ है कि इस प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत हो गया है परन्तु आरोप पत्र प्रस्तुत हो जाना मात्र परिस्थितियों में ऐसा परिवर्तन नहीं है जो प्रार्थीगण को जमानत का हकदार बनाता हो। सह–अभियुक्त असअद द्वारा प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र भी पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है तथा प्रार्थीगण का मामला भी सह–अभियुक्त के मामले से भिन्न प्रकृति का नहीं है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यो, परिस्थितियों व अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणदोष पर विस्तृत टिप्पणी किये बिना मैं प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत यह तृतीय जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं समझता।

7. अतः प्रार्थीगण सोयल शाह, गुलशेर व अमर सिंह उर्फ मोटा की ओर से प्रस्तुत यह तृतीय जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. खारिज किया जाता है।

(देवेन्द्र दीक्षित)
सैशन न्यायाधीश,
सवाई माधोपुर

8. आदेश आज दिनांक 28.10.2024 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर उच्चारित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(देवेन्द्र दीक्षित)
सैशन न्यायाधीश,
सवाई माधोपुर